



यूजेवीएन लिमिटेड  
मुख्यालय उज्जवल महारानी बाग, जीएमएस रोड, देहरादून-248006,  
फोन: 0135-2763507, 2763508

#### अति महत्वपूर्ण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यूजेवीएन लिमिटेड डाकपत्थर के विभागीय आवासों में जो बाहरी व्यक्ति अवैध रूप से अध्यासित हैं वह विभागीय आवासों को अतिशीघ्र रिक्त कर यूजेवीएन लिमिटेड डाकपत्थर विभाग को सौंप दें। यह भी आवश्यक सूचनीय है कि नई यमुना कालोनी, टॉस कालोनी डाकपत्थर एवं लोवर लखवाड़ कालोनी डाकपत्थर के अनेक टाईपो के अधिकतर आवासों की वर्तमान वास्तविक हालत बहुत ही जर्जर-जर्जर है। जो कभी भी हल्के से भूकम्प के झटकों एवं तेज बारिश या आँधी तुफान में ध्वस्त/क्षतिग्रस्त हो सकते हैं जिसके कारण अवैध रूप से अध्यासितों व्यक्तियों को जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। इसलिये विभागीय कालोनी डाकपत्थर में अवैध रूप से अध्यासित बाहरी व्यक्ति विद्युत विभाग के आवासों को अतिशीघ्र रिक्त कर विभाग को सौंपने का कष्ट करें। यदि किसी कारण से उपरोक्त जर्जर आवासों के गिरने या क्षतिग्रस्त होने पर जान माल की हानि होती है तो पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। अवैध अध्यासितों द्वारा आवासों को रिक्त न करने की दशा में उनके विरुद्ध विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

अधिशाली अभियन्ता

“Avoid wasteful use of Electricity”



यूजेवीएन लिमिटेड  
मुख्यालय उज्जवल महारानी बाग, जीएमएस रोड, देहरादून-248006,  
फोन: 0135-2763507, 2763508

#### अति महत्वपूर्ण सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि यूजेवीएन लिमिटेड डाकपत्थर के विभागीय आवासों आवास संख्या सी-334, सी-350, नई यमुना कालोनी डाकपत्थर, आवास संख्या एलसीटी-12, ए-5, ए-25 टॉस कालोनी डाकपत्थर, आवास संख्या बी-254, लोअर लखवाड़ कालोनी एवं अन्य विभागीय आवासों में जिन बाहरी व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से अपना सामान रखकर अध्यासन किया गया है। उपरोक्त आवासों में अवैध रूप से अध्यासित व्यक्ति इस नोटिस के निकलने के 15 दिन के अन्दर डाकपत्थर के यूजेवीएन लिमिटेड विभागीय आवासों में रखे मौजूद सामान को निकालने का दावा प्रस्तुत करें तथा आवासों को रिक्त कर यूजेवीएन लिमिटेड डाकपत्थर विभाग को सौंप दें। अन्यथा की स्थिति में आवासों को रिक्त कराने के लिये विभागीय कमेटी गठित कर आपके सामान को जब्त कर स्टोर में जमा करा दिया जायेगा। तथा आपके विरुद्ध विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

अधिशाली अभियन्ता

“Avoid wasteful use of Electricity”